

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (नि0) पटना, उप निदेशक (नि0), मुजफ्फरपुर, अ0प्रा0नि0, मुजफ्फरपुर, अ0प्रा0नि0, डालमियानगर, अ0प्रा0नि0, सहरसा, विकलांगों के लिए विशेष नि0, पटना, जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी, जिला नियोजनालय, शिवहर, जिला नियोजनालय, नालंदा, जिला नियोजनालय, खगड़िया जिला नियोजनालय, अरवल जिला नियोजनालय, सिवान, वि0वि0नि0सु0एवंमा0 केन्द्र, बोध गया, एवं वि0वि0नि0सु0एवंमा0 केन्द्र, भागलपुर।

पटना-01, दिनांक-

विषय:- निदेशालय नियोजन, बिहार पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों को (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्ययक शीर्ष-2230-02-101-0004 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) अंतर्गत बिहार विनियोग अधिनियम-2025 के द्वारा उपबंधित निधि से वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना पत्रांक-235/वि0, दिनांक-01.04.2025, के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माह के व्यय के लिए विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष मदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹7,43,000 (रुपये सात लाख तैतालीस हजार) मात्र के निधि का आवंटन दिया जा रहा है।

- यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास -02-रोजगार सेवायें-101-रोजगार सेवायें-0004-रोजगार कार्यालय की स्थापना विपत्र कोड-26-2230.02.101.0004, माँग संख्या-26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561/ वि0 (2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों/निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित की जा रही राशि में से अधिकतम 38,888/- प्रतिमाह की दर से वाहन मासिक रूप से भाड़े पर लिया जा सकेगा। मामले में वित्त विभाग से संबंधित अन्य सभी वांछित निदेश का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- उक्त आवंटित निधि से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि के व्यय विवरणी ससमय निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वेतनादि मद में आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माह के लिए है। आवंटित राशि से पूर्व के बकाया राशि की भी निकासी की जा सकेगी।
- सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि CFMS के माध्यम से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही राशि की निकासी सुनिश्चित की जाय।
- सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि का व्यय विवरणी एवं लेखा मिलान से संबंधित प्रतिवेदन टी०भी० नम्बर के साथ प्रत्येक माह की पांचवीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय नियोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-


निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2/बी0टी0-09/2024-20

पटना-01, दिनांक-09/12/2024

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / उप निदेशक (नियोजन) / सहायक निदेशक (नियोजन) (विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित) / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र / संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं बजट / लेखा शाखा, निदेशालय नियोजन एवं आई० टी० मैनेजर, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

26-2230.02.101.0004 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु आवंटन विवरणी

क्रम सं०	विस्तृत शीर्ष विषय शीर्ष (मद का नाम) एवं कार्यालय का नाम	01-वेतन						06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-यात्रा व्यय	13 कार्यालय व्यय-			28- व्यवसायिक सेवाएं	कुल योग
		वेतन-01	जीवन यापन भत्ता -03	मकान किराया भाता -04	परिवहन भत्ता - 05	चिकित्सा भत्ता- 06	अन्य भत्ता -07	चिकित्सा प्रतिपूर्ति - 01	यात्रा व्यय -01	दूरभाष -03	विद्युत प्रभार - 04	भाड़े की गाडी का भुगतान-10	संविदा सेवायें-02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	24
1	जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी											5000		5000
2	जिला नियोजनालय, शिवहर										20000			20000
3	अ०प्रा०नि०, सहरसा												15000	15000
4	विकलांगों के लिए विशेष नि०, पटना												19000	19000
5	उप निदेशक (नि०) पटना						3000		10000				75000	88000
6	जिला नियोजनालय, नालंदा												120000	120000
7	अ०प्रा०नि०, मुजफ्फरपुर			29000	24000									53000
8	उप निदेशक (नि०), मुजफ्फरपुर							46000						46000
9	जिला नियोजनालय, खगड़िया												100000	100000
10	वि०वि०नि०सु०एवंमा० केन्द्र, बोध गया			18000										18000
11	अ०प्रा०नि०, डालमियानगर												173000	173000
12	वि०वि०नि०सु०एवंमा० केन्द्र, भागलपुर												37000	37000
13	जिला नियोजनालय, अरवल	5000	15000	6000		3000							5000	34000
14	जिला नियोजनालय, सिवान									15000				15000
	कुल योग	5000	15000	53000	24000	3000	3000	46000	10000	15000	20000	5000	544000	743000

रुपये (सात लाख तैतालीस हजार) मात्र


 निदेशक
 नियोजन एवं प्रशिक्षण
 बिहार, पटना।